CNR-No-UPBU10-001053-2026

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अनूपशहर बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 227 सन् 2026

सरकार.....बनाम.....तिलकराज।

06.06.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त तिलकराज के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 80 सन् 2026 अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उपरोक्त मु०अ०सं० में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त जिला कारागार बुलन्दशहर में दिनांक-24.03.2026 से निरूद्ध है। अभियुक्त के पास से जो मोटरसाईकिल बरामदगी दिखाई गयी है उसे थाना पुलिस ने फर्जी प्लाण्ट किया है। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार उचित जमानत दाखिल करने को तैयार है। उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित प्रश्नगत मोटरसाईकिल अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं हुई है। अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत मोटरसाईकिल किस को व कब विक्रय की गयी इसका कोई विवरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में दोषसिद्धि का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 6400/2025, श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किये जावे।

(नीतिवान निगम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
JO. Code U.P2232

मौ० दानिश (आशुलिपिक)

Digitally signed by NITYVAN NIGAM
Date: 2026.06.06 15:40:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court